न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्याः–142/2025 पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश सहारण (RAS)

रोशन लाल यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

– आवेदक

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश, (विक्रेता) मैसर्स – Sanwariya Agro Foods, Near Loard Krishna Feed Industry, Khasra No- 875, Kund Road, Machil, Behror, Dist- Kotputali Behror निवासी हाउस नं0 712, गांव किरोडी 135, हिसार, हरियाणा (125112)।
2. श्री मंजीत पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, (मालिक) मैसर्स – Sanwariya Agro Foods, Near Loard Krishna Feed Industry, Khasra No- 875, Kund Road, Machil, Behror, Dist- Kotputali Behror निवासी– धाबी खूर्द, (3), भटटु कलां फतेहाबाद, हरियाणा 125053।

– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 21/5/26

1. उक्त परिवाद आवेदन पत्र श्री रोशन लाल यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर ने प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मैं दिनांक 25.10.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 27 सितम्बर 2024 के गजट के क्रमांक 18 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि./संस्था/2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 25.10.2024 को सुबह 12.10 पीएम बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स Sanwariya Agro Foods, Near Loard Krishna Feed Industry, Khasra No-

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

875, Kund Road, Machil, Behror, Dist- Kotputali Behror, स्थित पर पहुँचा। उक्त स्थल पर विक्रेता श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ, Ghee आमजन को बिकी वास्ते रखा हुआ था। मैंने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री प्रदीप एवं श्री हेमन्त यादव की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश, निवासी हाउस नं0 712, गांव किरोडी 135, हिसार, हरियाणा का होना बताया एवं स्वयं को उक्त फर्म का विकेता होना बताया एवं उक्त फर्म का मालिक श्री मंजीत पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी धाबी खूर्द. (3). भट्टु कलां फतेहाबाद, हरियाणा 125053 होना बताया। मौके पर स्वयं एवं मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत कि जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाय पंजीयन पत्र होना जाहिर किया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर रखे लोहे के तीन ड्रमों में रखे करीब 500 किलो Ghee में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री प्रदीप एवं श्री हेमन्त यादव की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त Ghee में से 800 ग्राम Ghee वास्ते नमूना जाँच हेतु खाली बर्तन में क्रय किया एवं शेष बचे घी को मौके पर सीज किया, जिसके प्रारूप 2 एवं 3 संलग्न है। क्रय किये गये 800 ग्राम घी की कीमत विक्रेता को रु 640/– (अक्षरे छः सौ चालीस रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 800 ग्राम Ghee को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Ghee को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल को एयरटाइट ढक्कन बन्द किया। लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–4370 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।
5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

एक सीलेड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि नमूने की दो सीलेड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सीलेड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं0 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि उक्त Ghee के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 44 दिनांक 23.01.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से असुरक्षित खाद्य पदार्थ (Unsafe Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि उक्त विक्रेता द्वारा फार्म नं. 8 में श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के समक्ष नमूनें की पुनः जांच कराने हेतु अपील की गई जिस पर उक्त नमूनें को पुनः जांच हेतु निर्दिश्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर में भेजा गया। पुनः जांच सर्टिफिकेट नं 404๒/FSSA/2025 दिनांक 04.07.2025 में उक्त नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) का होना पाया गया। उक्त नमूने की निर्दिश्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट व मैमोरेन्डम आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 693. दिनांक 281.712 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

11. यह है कि उक्त खाद्य अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food).Ghee की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

12. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान की तल्बी हेतु रजिस्ड्र्ड नोटिस जारी किया गया। बाद तामिल अप्रार्थी उपस्थित हुआ। परन्तु उसके बाद अप्रार्थी की तरफ से ना ही कोई जवाब आया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। इसलिए अप्रार्थी के उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

13. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ Ghee का विक्रय करके अप्रार्थीगण ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

3. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Ghee का विक्रय/निर्माण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश, (विक्रेता) मैसर्स – Sanwariya Agro Foods, Near Loard Krishna Feed Industry, Khasra No- 875, Kund Road, Machil, Behror, Dist- Kotputali Behror निवासी हाउस नं० 712, गांव किरोडी 135, हिसार, हरियाणा (125112)। एवं श्री मंजीत पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, (मालिक) मैसर्स – Sanwariya Agro Foods, Near Loard Krishna Feed Industry, Khasra No- 875, Kund Road, Machil, Behror, Dist- Kotputali Behror निवासी– धाबी खूर्द, (3), भटटु कलां फतेहाबाद, हरियाणा 125053 पर [illegible] 50000/-..........शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपूतली–बहरोड़